स्तनपान को प्राथमिकता दें।

स्थायी सहायता प्रणाली विकसित करें

चित्र का श्रेय देना:
एमएए कार्यक्रम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

फोटो श्रेय: WHO

भारतीय स्तनपान संवर्धन नेटवर्क (बीपीएनआई) ने विश्व स्तनपान सप्ताह (डब्ल्यूबीडब्ल्यू) 2025 के लिए विषय और नारा “स्तनपान को प्राथमिकता दें: स्थायी समर्थन प्रणाली बनाएं” की घोषणा की है।

इस WBW में, महिलाओं को स्तनपान के लिए सफल और सुरक्षित वातावरण पर पुनः ध्यान केंद्रित किया गया है। स्तनपान और शिशु तथा छोटे बच्चों के आहार पर नीति और कार्यक्रमों के हालिया आकलन के प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर, WBW 2025 एक्शन फ़ोल्डर प्रसूति अस्पतालों में स्तनपान के समर्थन को प्राथमिकता दे रहा है जहाँ महिलाएँ जन्म देने आती हैं। शिशु आहार कंपनियों से स्तनपान कराने वाली माताओं की सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। BPNI सरकारों, सार्वजनिक और निजी दोनों स्वास्थ्य प्रणालियों, नागरिक समाज संगठनों और व्यक्तियों को स्तनपान समर्थन और सुरक्षा तंत्रों को प्राथमिकता देने में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। जबकि अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, आगामी रिपोर्ट "स्तनपान और शिशु तथा छोटे बच्चों के आहार पर स्पॉटलाइट" में उजागर किया जाएगा, BPNI इस विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 के दौरान इन दोनों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 के लक्ष्य

- अस्पतालों में स्तनपान समर्थन और सुरक्षा में महत्वपूर्ण कमियों के बारे में लोगों और नीति निर्माताओं को जागरूक करें।
- आवश्यक विशेष परिवर्तनों की वकालत करें।
- भारत के राज्यों में बदलाव के लिए कदम उठाने को प्रेरित करना।

BP-33, पिटंपुरा, दिल्ली-110034 | +91-11-42683059 | bpni@bpni.org | @बीपीएनआईइंडिया

अस्पतालों में स्तनपान के लिए सहायता क्यों जरूरी है?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, स्तनपान बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा के लिए सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। इसमें एंटीबॉडी होते हैं जो दस्त और निमोनिया जैसी कई सामान्य बचपन की बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। स्तनपान करने वाले बच्चे बुद्धि परीक्षणों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, उनमें अधिक वजन या मोटापे की संभावना कम होती है और आगे चलकर मधुमेह का खतरा भी कम होता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं में स्तन और डिम्बग्रंथि के कैंसर का जोखिम भी कम होता है। स्तन-दूध के विकल्पों का अनुचित विपणन विश्वभर में स्तनपान की दर और अवधि में सुधार के प्रयासों को कमजोर कर रहा है। अपर्याप्त स्तनपान और अपर्याप्त पूरक आहार, बचपन में बौनेपन, दुर्बलता और मोटापे में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।

लाभों के बावजूद, भारत में शिशुओं और छोटे बच्चों के आहार तरीके अभी भी अपर्याप्त हैं, जैसा कि चित्र 1 में दर्शाया गया है। एनएफएचएस-5 (2021) के अनुसार, 88.6% महिलाएँ अस्पतालों में बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन केवल 41.6% ही जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कर पाती हैं (चित्र 2)। सभी भारतीय राज्यों में भिन्नताएँ हैं, लेकिन संस्थागत जन्मों और प्रारंभिक स्तनपान दरों के बीच के अंतर को पाटने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। (चित्र 3)

चित्र 1: एनएफएचएस-5 से महत्वपूर्ण आईवाईसीएफ संकेतक

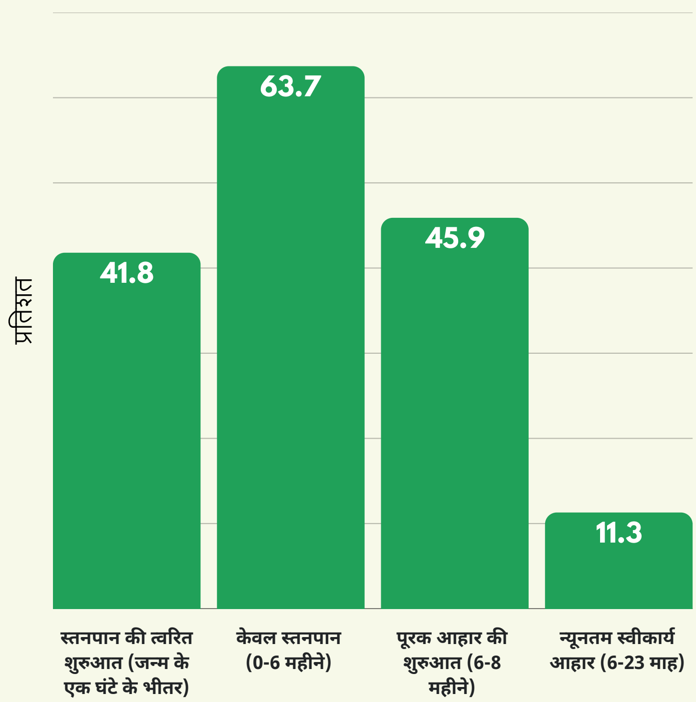

6 महीने से कम उम्र में केवल स्तनपान की दर 63.7% है, पूरक आहार की दर 45% है और न्यूनतम स्वीकार्य आहार 11.3% बहुत ही कम है।

चित्र 2: एनएफएचएस-5 (2021) के अनुसार भारत में संस्थागत जन्मों की तुलना में प्रारंभिक स्तनपान की वर्तमान स्थिति

प्राथमिकता को कैसे निर्धारित करें?

भारत के हर राज्य को निर्णायक और त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। चित्र 3 देखें, जहाँ अधिकांश राज्य कमी दर्शाते हैं और 18 राज्यों में, प्रारंभिक स्तनपान दर वास्तव में NFHS-4 से NFHS-5 तक कम हो गई है। इसे एक चेतावनी के रूप में देखा जा सकता है। समाधान स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने और कार्यक्रमों में आवश्यक बदलाव लाने में निहित है जो इसे स्थायी बनाए रखें।

आइए अपने अस्पतालों को स्तनपान के लिए मित्रवत बनाने हेतू परिवर्तन करें ।

भारत सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सफल स्तनपान के दस चरणों पर आधारित MAA कार्यक्रम की शुरुआत की है। एक महत्वपूर्ण कमी यह है कि MAA कार्यक्रम निजी क्षेत्र तक नहीं पहुँच पाता, जहाँ 40% से अधिक बच्चे जन्म लेते हैं। इसलिए, उन तक पहुँचने के लिए रणनीतियों की आवश्यकता है।

हालाँकि "सफल स्तनपान के दस कदम" एक स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, फिर भी भारतीय अस्पतालों में उनका कार्यान्वयन निरंतरता के साथ नहीं होता है। डिब्बे के दूध के अनावश्यक उपयोग की अक्सर सूचना दी गई है।

अधिकांश अस्पतालों में स्तनपान के लिए कोई नीति नहीं है, अस्पतालों में स्तनपान की नीतियों की निगरानी नहीं की जाती है और आईएमएस अधिनियम का कार्यान्वयन प्रभावी नहीं है।

लक्ष्य या एनक्यूएएस जैसी सार्वजनिक अस्पतालों की पहलों में सभी दस चरणों और संबंधित स्तनपान संकेतकों को लगातार शामिल नहीं किया जाता है। ये पहल सार्वभौमिक नहीं हैं।

इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए स्तनपान सहायता पर प्रशिक्षण, दस चरणों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।

बीपीएनआई ने एक नवीन कार्यक्रम तैयार किया है जो ये परिवर्तन ला सकता है। इसका नाम है "स्तनपान अनुकूल मान्यता"।

बीपीएनआई की स्तनपान अनुकूल अस्पताल मान्यता का उपयोग अस्पताल में भर्ती के दौरान स्तनपान के लिए निगरानी और सहायता तंत्र जैसे संरचनात्मक परिवर्तनों को लागू करने के लिए किया जा सकता है।

यह पहल दो चरणों में कार्य करती है:

- अस्पताल द्वारा आत्म-मूल्यांकन
- स्वतंत्र अधिकृत मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा बाहरी मूल्यांकन

रिपोर्ट और अस्पताल के आधार पर, यदि अस्पताल ग्रेड 1 में वर्गीकृत होता है, तो उसे 3 वर्षों के लिए मान्यता प्रमाणपत्र प्राप्त होता है।

जो छात्र ग्रेड 2-5 प्राप्त करते हैं, उन्हें ग्रेड-1 तक लाने के लिए एक वर्ष की अवधि तक निरंतर तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

संसाधन

बीपीएनआई उपकरण अस्पतालों के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं, जिन्हें वे मान्यता प्राप्त करने से पहले या उसकी तैयारी के दौरान उपयोग कर सकते हैं। निःशुल्क संसाधन यहाँ (website) पर उपलब्ध हैं। आइए, अपने अस्पतालों को "स्तनपान अनुकूल" बनाएं - बीपीएनआई

- अस्पतालों के लिए उत्तम स्तनपान नीति
- प्रसव पूर्व तैयारी कार्यक्रम
- प्रसूति अस्पतालों में स्तनपान से संबंधित आंकड़ों की निगरानी के लिए साधन
- कार्यक्रमों की निगरानी हेतु 18 संकेतक
- आईएमएस अधिनियम पर जागरूकता - एक पीपीटी
- टेम्पलेट-माताओं के लिए छुट्टी के बाद की अनुवर्ती सहायता
- टेम्पलेट - अस्पताल में स्तनपान समिति का गठन

इस प्रकार माताओं और शिशुओं को अस्पताल में सहायता को बढ़ावा दिया जा सकता है और सार्वजनिक तथा निजी अस्पतालों में शीघ्र स्तनपान की दर को बढ़ाया जा सकता है।

कार्रवाई के सुझाव

नागरिक समाज हेतु

- पड़ोसी अस्पताल से जानकारी प्राप्त करें कि क्या उनके पास स्तनपान से संबंधित नीति है और स्तनपान से संबंधित आंकड़ों की निगरानी करें।
- स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए अस्पतालों के साथ संसाधनों का आदान-प्रदान करें।
- अस्पतालों को बीपीएनआई टीम से जोड़ें और इस लिंक https://www.bpni.org/breastfeeding-friendly/ के माध्यम से अपनी रुचि को पंजीकृत करें।
- ऑनलाइन मंच के माध्यम से अभिविन्यास प्रदान करें

सरकारों हेतु

- एमएए कार्यक्रम/दस चरणों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना
- निजी अस्पतालों के लिए सलाह जारी करें

चित्र 3: एनएफएचएस-5 (2021) के अनुसार प्रारंभिक स्तनपान और संस्थागत प्रसव के लिए राज्यवार आंकड़े

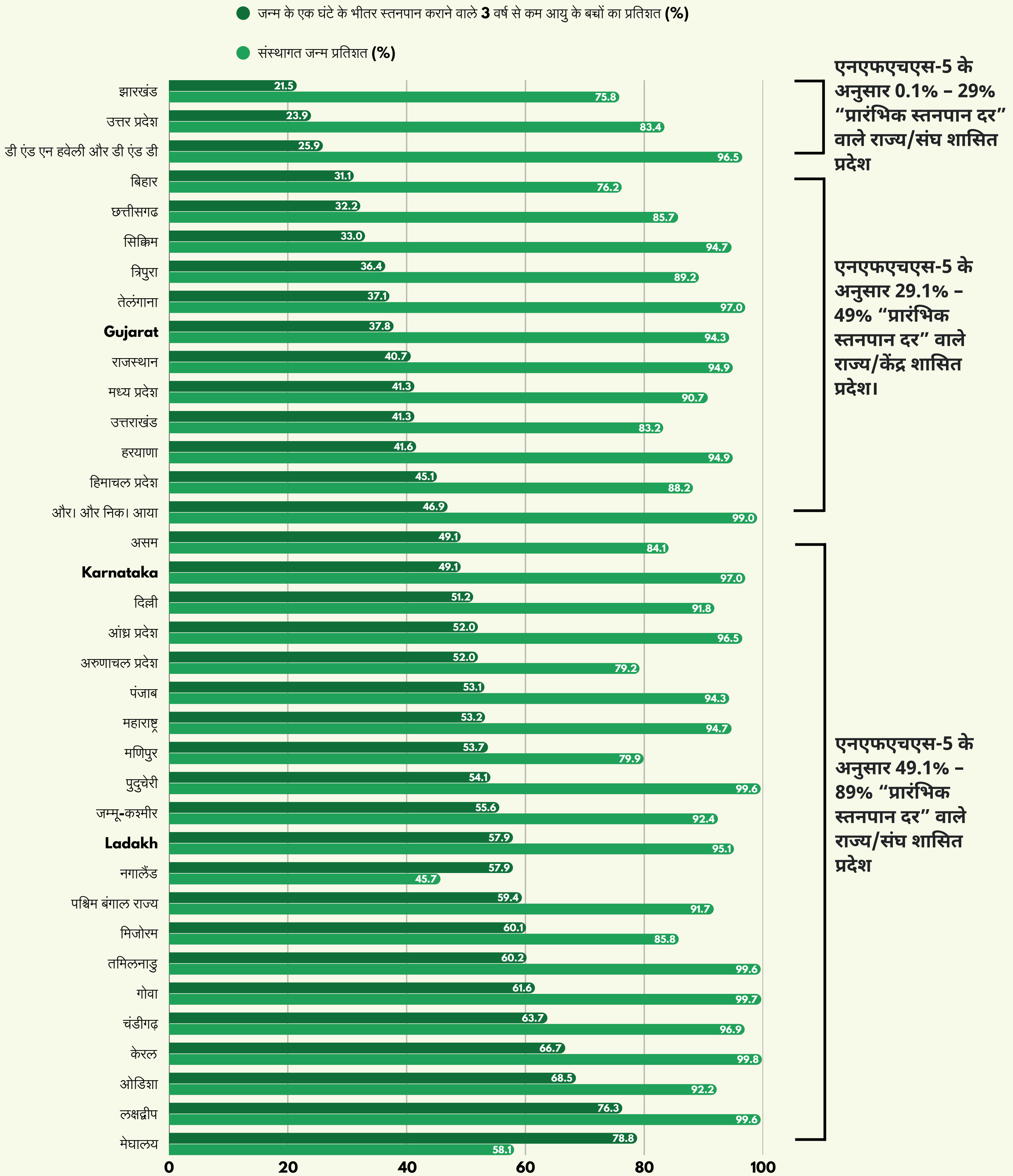

यह डेटा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में मौजूद उस अंतर को दर्शाता है जिसे समाप्त करने की आवश्यकता है।

अब हम अगले प्राथमिकता की ओर बढ़ते हैं...
माताओं और बच्चों को शिशु दूध के विकल्पों या खाद्य कंपनियों के व्यावसायिक प्रभाव से सुरक्षित रखना।

माताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना

मई 2025 में, विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) ने स्तनदूध के विकल्पों के डिजिटल विपणन को नियंत्रित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्तनदूध के विकल्पों के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, उनके डिजिटल विपणन को नियंत्रित करना है। WHO डिजिटल विपणन को सीमित करने के उद्देश्य से नियामक उपायों पर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है।

भारत विश्व स्वास्थ्य सभा के निर्णयों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखता है। भारत ने शिशु दुग्ध विकल्प, दूध की बोतलें और शिशु आहार (उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम 1992 और संशोधन अधिनियम 2003 (आईएमएस अधिनियम) को पारित किया है, जो किसी भी माध्यम से शिशु दुग्ध विकल्प और शिशु आहार के प्रचार पर प्रतिबंध लगाता है। इसका अर्थ है कि इसमें डिजिटल मार्केटिंग भी शामिल है। चूँकि भारत में डिजिटल मार्केटिंग का विस्तार हो रहा है, इसलिए इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य के सर्वोत्तम हित में होगा।

आईएमएस अधिनियम को परिभाषित करता है
(क) "विज्ञापन" में कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, आवरण या कोई अन्य दस्तावेज या दृश्य प्रतिनिधित्व या किसी प्रकाश, ध्वनि, धुएं या गैस के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण के माध्यम से या ऑडियो या दृश्य प्रसारण द्वारा की गई घोषणा शामिल है;

धारा 3 के अनुसार
कोई भी व्यक्ति
(क) शिशु के लिए दूध के विकल्प, दूध की बोतलों या शिशु आहार के वितरण, बिक्री या आपूर्ति के लिए प्रचार करना, या किसी प्रचार के प्रकाशन में शामिल होना; या

(ग) शिशु के लिए दूध के विकल्प, दूध की बोतलें या शिशु आहार के प्रचार में शामिल होना।

लेकिन, बीपीएनआई द्वारा जारी भारतीय शिशु आहार कानून अपराधियों की रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार, पूरे भारत में आईएमएस अधिनियम के उल्लंघन में वृद्धि हो रही है। रिपोर्ट में प्रमुख प्रावधानों के उल्लंघनों का उल्लेख किया गया है: धारा 3, जो शिशु दूध के विकल्पों और दूध की बोतलों के विज्ञापन या प्रचार पर प्रतिबंध लगाती है; धारा 4, जो माताओं या उनके बच्चों को उपहार, छूट या नमूने जैसे प्रलोभनों पर प्रतिबंध लगाती है। परिवारों; और धारा 9, जो शिशु आहार कंपनियों द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों या उनके कार्यक्रमों के प्रायोजन पर रोक लगाती है। आक्रामक डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से उल्लंघन तेजी से बढ़ रहे हैं, जिनमें सोशल मीडिया पर प्रभावशाली व्यक्तियों, माताओं के साथ अपने बच्चों के प्रभावशाली लोग, ऑनलाइन छूट अभियानों और ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर भ्रामक प्रचार शामिल हैं।

एक विशेष रूप से चिंताजनक प्रवृत्ति डॉक्टरों और चिकित्सा सम्मेलनों का प्रायोजन है, जिसे अक्सर शैक्षिक सहायता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये गतिविधियाँ चिकित्सा नैतिकता को कमजोर करती हैं, हितों के टकराव को जन्म देती हैं, और शिशु आहार संबंधी निर्णयों को प्रभावित करती हैं तथा सीधे तौर पर आईएमएस अधिनियम का उल्लंघन करती हैं। आईएमएस अधिनियम के स्पष्ट प्रतिबंधों के बावजूद, निगरानी और प्रवर्तन, विशेष रूप से डिजिटल और स्वास्थ्य क्षेत्र में, कमजोर बना हुआ है। इस प्रकार की प्रथाओं की व्यापकता के कारण कड़े प्रवर्तन की आवश्यकता है।

कार्रवाई के सुझाव

नागरिक समाजों हेतु

- किसी भी सोशल मीडिया का उपयोग करते समय यदि आपको दो वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिशु आहार का कोई विज्ञापन दिखाई देता है, तो कृपया इसकी सूचना राज्य सरकार और बीपीएनआई को दें।
- अपने राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों से संपर्क करके कार्रवाई करें।

सरकारों हेतु

- आईएमएस अधिनियम से संबंधित विशेष मॉड्यूल के माध्यम से अस्पताल के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना।
- सिविल सर्जनों को “प्राधिकृत अधिकारी” के रूप में अधिसूचित करके आईएमएस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्य-स्तरीय निगरानी तंत्र स्थापित करना

डिजिटल मार्केटिंग के जरिए उल्लंघन के नवीनतम उदाहरण

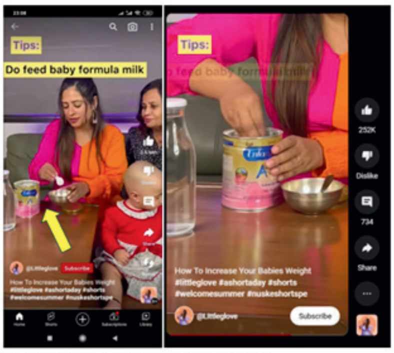

Accessed on 10/04/2023 at 8:43 am and 18/05/2023 at 3:12 pm
Link: https://www.youtube.com/shorts/TnMfJSZrxdM and https://www.youtube.com/@Littleglove

चित्र 1

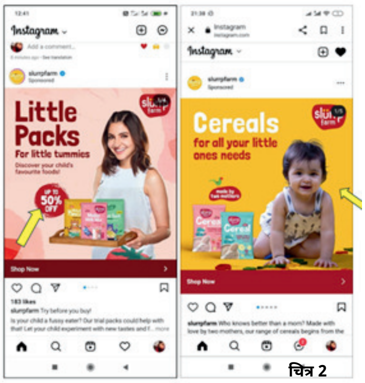

Accessed on (R) 10/02/2023 at 12:41 pm and (L) 16/05/2023 at 21:38 pm

चित्र 2

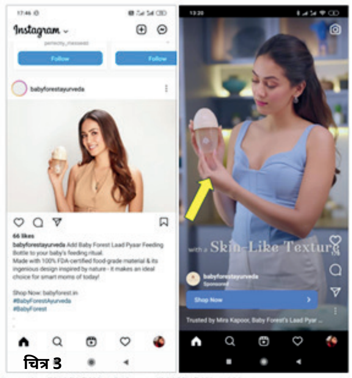

चित्र 3

Accessed on (R) 10/02/2023 at 5:46 pm and (L) 26/01/2023 at 1:20 pm

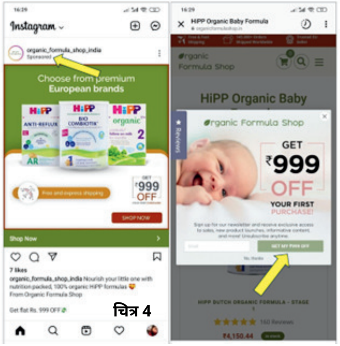

चित्र 4

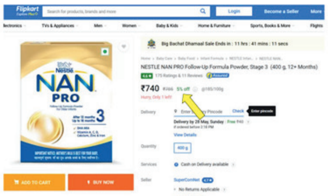

Accessed on 15/05/2023 on www.flipkart.com Link: https://www.flipkart.com/nestle-nan-pro-follow-up-formula-powder-stage-3/p/itm64367a930ea92

चित्र 5

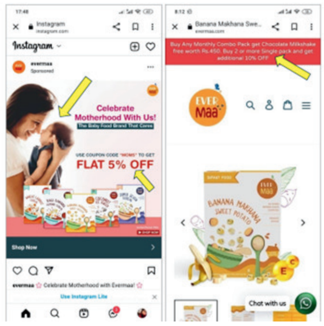

चित्र 6

चित्र 1: यूट्यूब चैनल @Litlleglove (11.2 मिलियन फॉलोअर्स) पर एक मातृ प्रभावशाली व्यक्ति ने एनफैमिल ए (8+ महीने) का प्रचार किया, जो आईएमएस अधिनियम की धारा 3(सी) और 8(3) का उल्लंघन है, जो गैर-स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को शिशु दूध के विकल्प के उपयोग का समर्थन या प्रदर्शन करने से रोकता है।

चित्र 2: स्लर्प फार्म ने अनुष्का शर्मा और एक शिशु को प्रदर्शित करते हुए इंस्टाग्राम पर एक विज्ञापन चलाया, जिसमें शिशु खाद्य उत्पादों पर छूट की पेशकश की गई - जो आईएमएस अधिनियम की धारा 3 (ए), 3 (सी), और 4 (सी) का उल्लंघन है, जो विज्ञापन, मशहूर हस्तियों या शिशुओं का उपयोग करके प्रचार और बिक्री को बढ़ाने के लिए प्रलोभन पर प्रतिबंध लगाता है।

चित्र 3: बेबी फॉरेस्ट आयुर्वेद ने मीरा कपूर को चित्रित करते हुए इंस्टाग्राम पर शिशु आहार की बोतलों का प्रचार किया, जो आईएमएस अधिनियम की धारा 3(ए) और 3(सी) का उल्लंघन है, जो शिशु आहार उत्पादों के विज्ञापन और सेलिब्रिटी प्रचार पर प्रतिबंध लगाता है।

चित्र 4: ऑर्गेनिक फॉर्मूला शॉप इंडिया का HiPP शिशु दूध विकल्प प्लेटफ़ॉर्म: इंस्टाग्राम उल्लंघन: उत्पादों पर दिए गए विज्ञापन और छूट आईएमएस अधिनियम की धारा 3 (ए) और 4 (सी) का उल्लंघन करते हैं, जो शिशु दूध के विकल्प और शिशु भोजन के विज्ञापन तथा उत्पाद की बिक्री को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार के प्रलोभन पर प्रतिबंध लगाता है।

चित्र 5: नेस्ले नैन प्रो (स्टेज 3) को फ्लिपकार्ट पर छूट के साथ सूचीबद्ध किया गया था, जो आईएमएस अधिनियम की धारा 4 (सी) का उल्लंघन करता है, जो शिशु दूध के विकल्प की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए प्रलोभन पर प्रतिबंध लगाता है।

चित्र 6: ऑर्गेनिक फॉर्मूला शॉप इंडिया द्वारा HiPP शिशु दूध विकल्प को इंस्टाग्राम पर विज्ञापनों और छूट प्रस्तावों के माध्यम से प्रचारित किया गया, जो IMS अधिनियम की धारा 3(a) और धारा 4(c) का उल्लंघन करता है, जो शिशु दूध विकल्पों की बिक्री को बढ़ाने के लिए विज्ञापनों और प्रलोभनों पर प्रतिबंध लगाता है।

Useful resources

1.WHO. https://www.who.int/health-topics/breastfeeding#tab=tab_1
2.WHO. (2017). Global Nutrition Targets 2025: Policy brief series. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-NMH-NHD-14.2
3.WHO. (2022). Scope and impact of digital marketing strategies for promoting breastmilk substitutes https://www.who.int/publications/i/item/9789240046085
4.International Institute for Population Sciences (IIPS) & ICF. (2021). National Family Health Survey (NFHS-5), 2019–21: India. Mumbai: IIPS. https://dhsprogram.com/pubs/pdf/FR375/FR375.pdf
5.World Health Organization (WHO), & United Nations Children's Fund (UNICEF). (2018). Implementation guidance: Protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services – The revised Baby-friendly Hospital Initiative. Geneva: WHO. https://www.who.int/publications/i/item/9789241513807
6.World Health Organization (WHO). (2017). Protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services: Guideline. Geneva: WHO. https://www.who.int/publications/i/item/9789241550086
7.The Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act. (1992, Amended 2003). Government of India. https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/1958?view_type=browse

bpni
putting child nutrition at the forefront of social change

IBFAN
defending breastfeeding

भारतीय स्तनपान प्रोत्साहन नेटवर्क (बीपीएनआई)

पता: बीपी-33, पीतमपुरा, दिल्ली 110034. फोन: +91-11-42683059

bpni@bpni.org

http://www.bpni.org

@बीपीएनआईइंडिया

@bpni.org

https://www.youtube.com/user/bpniindia

बीपीएनआई के विषय में

भारतीय स्तनपान संवर्धन नेटवर्क (बीपीएनआई) एक 33 वर्ष पुराना पंजीकृत, स्वतंत्र, गैर-लाभकारी, राष्ट्रीय संगठन है जो शिशुओं और छोटे बच्चों के स्तनपान और उचित पूरक आहार की सुरक्षा, संवर्धन और समर्थन के लिए कार्यरत है। बीपीएनआई नीति विश्लेषण, वकालत, सामाजिक लामबंदी, सूचना साझाकरण, शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण और आईएमएस अधिनियम के अनुपालन की निगरानी के माध्यम से कार्य करता है। बीपीएनआई विश्व स्तनपान रुझान पहल (डब्ल्यूबीटीआई) कार्यक्रम के लिए वैश्विक सचिवालय के रूप में कार्य करता है, जो नीतियों और कार्यक्रमों का विश्लेषण करता है और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में देश स्तर पर कार्रवाई को प्रेरित करता है। बीपीएनआई अंतर्राष्ट्रीय शिशु आहार कार्रवाई नेटवर्क (आईबीएफएएन) का हिस्सा है।

बीपीएनआई की नैतिकता नीति

बीपीएनआई शिशु आहार, दूध की बोतलें या शिशु आहार से संबंधित उपकरण बनाने वाली कंपनियों से कोई भी धनराशि या सहायता स्वीकार नहीं करता है। बीपीएनआई हितों के टकराव वाले संगठनों से जुड़ा नहीं है। बीपीएनआई सभी से अनुरोध करता है कि वे विश्व स्तनपान सप्ताह मनाते समय इस नैतिक दृष्टिकोण का पालन करें।

लिखित और संपादित: डॉ. अरुण गुप्ता और डॉ. नूपुर बिडला
डिज़ाइन: अमित दहिया
हिंदी अनुवाद: डॉ. बीबी गुप्ता, डॉ. महिमा मित्तल, श्री प्रवीण दुबे